

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1919.
31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत मकानों का आवंटन और कब्जा

†1919. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक बनाए गए कुल मकान और ऐसे मकानों, जिन पर अब तक कब्जा नहीं लिया गया है, की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास आवंटन के लिए लंबित या बिना कब्जे के सौंपे गए पूर्ण हो चुके मकानों की संख्या का आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मकानों के आवंटन, बुनियादी ढांचे की तैयारी या उन् हैं रहने योग्य बनाने में समस्याओं की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण, संपरीक्षा या लाभार्थी ट्रेकिंग अभ्यास किए गए हैं और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू

किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और पात्र लाभार्थियों को पूर्ण आवासों के आवंटन सहित कार्यान्वयन का कार्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत से अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.26 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 112.81 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 14.07.2025 तक 93.61 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण हो चुके और सौंपे गए आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी आवासों/परियोजनाओं के निर्माण के विभिन्न चरणों की जियो-टैगिंग के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (टीपीक्यूएम) अनिवार्य है ताकि मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और समय-समय पर परियोजना स्थल का दौरा करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर सलाह दी जा सके। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) की जाती है ताकि निर्माण, आवंटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी या निवास-योग्यता आदि से संबंधित मुद्दों की पहचान और समाधान किया जा सके।

दिनांक 31-07-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1919 के उत्तर में
संदर्भित अनुलग्नक

**पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए आवासों
का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

क्र. सं.		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	शुरूआत से आवासों का विवरण (संख्या में)			
			स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवास	सौंपे गए आवास
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,297	18,26,698	10,78,686	9,89,302
2		बिहार	4,45,212	2,96,469	1,89,863	1,89,805
3		छत्तीसगढ़	2,99,922	2,85,392	2,57,171	2,43,419
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145
5		गुजरात	9,93,877	9,72,208	9,41,419	9,02,584
6		हरियाणा	1,30,290	90,636	70,522	70,506
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,381	11,363
8		झारखंड	2,43,421	2,10,640	1,59,751	1,56,291
9		कर्नाटक	5,84,086	5,08,586	3,94,054	3,53,692
10		केरल	1,61,957	1,55,162	1,34,127	1,34,026
11		मध्य प्रदेश	9,66,133	9,45,487	8,68,097	8,55,011
12		महाराष्ट्र	12,49,047	11,49,437	9,93,361	9,18,102
13		ओडिशा	2,15,339	1,85,963	1,64,880	1,59,534
14		पंजाब	1,33,270	1,18,475	97,920	97,618
15		राजस्थान	3,33,815	2,94,639	2,34,698	2,29,363
16		तमिलनाडु	6,70,425	6,69,514	6,07,051	5,58,877
17		तेलंगाना	3,61,755	2,35,023	2,23,627	1,80,755
18		उत्तर प्रदेश	19,75,035	17,59,770	17,02,317	16,68,382
19		उत्तराखंड	63,605	62,793	42,966	39,360
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,05,971	4,65,561	4,64,881
उप-योग (राज्य):-			1,14,05,377	1,03,88,649	86,40,597	82,26,016
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,379	8,739	8,068	6,852
22		असम	1,84,991	1,69,101	1,30,425	1,30,425
23		मणिपुर	52,519	49,593	18,397	18,397
24		मेघालय	4,758	4,083	1,995	1,995
25		मिजोरम	39,150	39,101	26,596	26,596
26		नागालैंड	31,067	31,060	29,029	28,997
27		सिक्किम	299	299	219	219
28		त्रिपुरा	90,989	88,416	78,061	78,061
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य):-			4,17,152	3,90,392	2,92,790	2,91,542

29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	376	376	80	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	9,947	9,947	9,450	9,113
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	43,856	42,159	32,091	32,091
34		लद्दाख	1,283	991	882	882
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुडुचेरी	16,442	16,050	11,377	11,377
उप-योग (यूटी):-			1,03,136	1,00,755	85,112	84,742
कुल - योग:-			119.26 Lakh	112.81 Lakh*	93.61 Lakh*	90.92 Lakh*

*इसमें पूर्ववर्ती योजना से संबंधित पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान निर्माणाधीन, पूर्ण हो चुके और सौंपे गए क्रमशः 4.01 लाख, 3.41 लाख और 4.90 लाख आवास शामिल हैं।